# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एंव सहायक जिलाधीश सूरतगढ़

**पीठासीन अधिकारी :– मनोज कुमार मीणा आर.ए.एस.**

प्रकरण नं0 238/2012 (RCMS 2012/00004) दायरा दिनांक 01.11.2012

कुलदीपचन्द गारगी पुत्र श्री कृष्णचन्द जाति अग्रवाल निवासी 13 सदर बाजार श्रीगंगानगर तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

– वादीगण

बनाम

1. दीपसिंह पुत्र पृथ्वीसिंह मृतक जरिये वारिस :–

1/1 गिरधारीसिंह
1/2 सालमसिंह
1/3 महेन्द्रसिंह
1/4 मन्जूकंवर
} पुत्रगण/पुत्री दीपसिंह पुत्र पृथ्वीसिंह अकवाम राजपूत निवासीयान मोकलसर तहसील सूरतगढ़।

2. ईशरराम पुत्र आसाराम जरिये :–

2/1 छगनलाल पुत्र पेमाराम जाति जाट निवासी राजियासर स्टेशन।

2/2 पेपसिंह पुत्र गुमानसिंह जाति राजपूत निवासी राजियासर स्टेशन।

2/3 छमिन्द्रसिंह पुत्र इकबालसिंह जाति जटसिख निवासी चक 103 आर.डी.एल.।

2/4 केसरीसिंह पुत्र मनीराम जाति जाट निवासी चक 5 पी.पी.ए. घमूड़वाली तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।

2/5 मानसिंह पुत्र उतमसिंह जाति राजपूत निवासी मोकलसर तहसील सूरतगढ़।

3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़।

– प्रतिवादीगण

## वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 209 आर.टी.ए.

उपस्थित :–

1. श्री शिशपाल शर्मा एडवोकेट – वादी
2. श्री सुरेन्द्र सुथार एडवोकेट – प्रतिवादी नं. 1/1 ता 1/4
3. श्री राकेश मनचन्दा एडवोकेट – प्रतिवादी नं. 2/1 ता 2/5
4. पेरोकार राज नायब तहसीलदार – प्रतिवादी नं 3

**–:: निर्णय ::–** दिनांक :– 16.09.2020

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। वादी ने यह दावा पेशकर निवेदन किया कि प्रतिवादी नं. 1 के पिता दीपसिंह व 2 के नाम से मुस्तरक खाता में तहसील सूरतगढ़ वाके रोही मोकलसर के खसरा नं. 205 में 37.950 हैक. बारानी व 0.266 हैक. गैर मुमिकन व

(मनोज कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2020.10.09 15:12:56 IST
Reason: SelfAttested

खसरा नं. 216 में 14.200 हैक. बारानी कुल 52.750 हैक. बारानी व 0.266 हैक. जिसमें से प्रतिवादी नं. 1/1 ता 1/4 के पिता दीपसिंह का 1095 हिस्सा व प्रतिवादी नं. 2 का 400 में से 1/2 हिस्सा गैर मुमिकन दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। उक्त रकबा में से प्रतिवादी नं. 1/1 ता 1/4 के पिता व प्रतिवादी नं. 2 ने खसरा नं. 205 में 20 हिस्सा यानि 0.10, 0.10 = 1.00 बीघा रकबा राष्ट्रीय राजमार्ग नं. 15/62 पर 75 फुट छोड़ते हुए बैयनामा दिनांक 17.07.2003 को वादी के पक्ष में तस्दीक करवाया है। मुताबिक बैयनामा के आधार खातेदार कृषक करवाने व चिरस्थाई निषेधाज्ञा का घोषणात्मक दावा पेश किया है।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी नं 1/1 से 1/4 व 2 की तरफ से श्री सुरेन्द्र सुथार एडवोकेट हाजिर आये व जबाब दावा पेश किया। जबाब दावा शामिल पत्रावली किया गया। जबाब स्टेट नही होने पर जबाब स्टेट बन्द किया गया। साक्ष्य पत्रावली पर दिनांक 09.04.2013 को वादी ने प्रतिवादी नं. 2 के द्वारा प्रतिवादी नं. 2/1 से 2/5 के पक्ष में रकबा बैचान होने से पक्षकार मुकदमा बनाने का निवेदन किया जो दिनांक 23.05.2013 को पक्षकार बनाते हुए संशोधित शीर्षक व बनाये गये पक्षकार की तलबी हेतू सम्मन जारी किये गये। सम्मन जारी होने के पश्चात् प्रतिवादी नं. 2/1 से 2/5 की और से श्री राकेश कुमार मनचन्दा एडवोकेट हाजिर आये। जबाब दावा प्रस्तुत करने पर जबाब दावा बन्द किया गया। उसके उपरान्त वकील वादी द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत किये गये जो शामिल मिसल किये गये। उसके बाद बहस के दौरान प्रतिवादी नं. 2/1 से 2/5 के वकील ने NO INSTERTION कायम किया। वकील वादी व प्रतिवादीगण बहस सुनी गई।

अधिवक्तागण की बहस सुनी जाने के पश्चात पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो से यह साबित है कि वादी द्वारा वाके रोही मोकलसर के खसरा नं. 205 में 37.950 हैक. बारानी व 0.266 हैक. गैर मुमिकन व खसरा नं. 216 में 14.200 हैक. बारानी कुल 52.750 हैक. बारानी व 0.266 हैक. जिसमें से प्रतिवादी नं. 1/1 ता 1/4 के पिता दीपसिंह का 1095 हिस्सा व प्रतिवादी नं. 2 का 400 में से 1/2 हिस्सा गैर मुमिकन दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। उक्त रकबा में से प्रतिवादी नं. 1/1 ता 1/4 के पिता व प्रतिवादी नं. 2 ने खसरा नं. 205 में 20 हिस्सा यानि 0.10, 0.10 = 1.00

(मनोज कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2020.10.09 15:12:56 IST
Reason: SelfAttested

बीघा रकबा राष्ट्रीय राजमार्ग नं. 15/62 पर 75 फुट छोड़ते हुए बैयनामा दिनांक 17.07.2003 को वादी के पक्ष में तस्दीक किया हुआ है तथा प्रतिवादी नं. 2/1 से 2/5 के द्वारा बैयनामे प्रस्तुत किये गये जो पश्चातवर्ती है। तथा प्रतिवादी नं. 2/1 से 2/5 के पेश दस्तावेज के समर्थन में साक्ष्य, शपथ पत्र प्रस्ततु किये गये है व ना ही ब्यान करवाये गये है। वादी का बैयनामा प्रथमत हुआ है। इसलिए वादी जैर प्रकरण रकबा में से प्रतिवादी नं. 1/1 से 1/4 के नाम वाके रोही मोकलसर के खसरा नं. 205 की 1095 हिस्सा में से 0.010 बीघा व प्रतिवादी नं. 2/1 से 2/5 के नाम 200 हिस्सा में से 0.010 बीघा इस प्रकार कुल 1.00 बीघा क़ृषि भूमि का राष्ट्रीय राजमार्ग नं. 15/62 पर 75 फुट छोड़ते हुए खातेदार कृषक घोषित किया जाता है तथा प्रतिवादी नं. 1/1 से 1/4 से 0.010 बीघा भूमि व प्रतिवादी नं. 2/1 से 2/5 से 0.010 बीघा इस प्रकार कुल 1.00 बीघा भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग नं. 15/62 पर 75 फुट छोड़ते हुए कलमजन की जाकर वादी के नाम जोड़ा जावे।

अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर मुताबिक बैयनामा दिनांक 17.07.2003 के आधार पर प्रतिवादी नं. 1/1 से 1/4 के नाम वाके रोही मोकलसर के खसरा नं. 205 की 1095 हिस्सा में से 0.010 बीघा व प्रतिवादी नं. 2/1 से 2/5 के नाम 200 हिस्सा में से 0.010 बीघा इस प्रकार कुल 1.00 बीघा कृषि भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग नं. 15/62 पर 75 फुट छोड़ते हुए प्रतिवादीगण से कलमजन की जाकर वादी के नाम जोड़ा जावे। व राजस्व रिकार्ड मे इसी अनुसार अमल दरामद किये जाने के आदेश दिये जाते है। इस आशय की पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मनोज कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलेक्टर
सूरतगढ़

(मनोज कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2020.10.09 15:12:56 IST
Reason: SelfAttested

—: डिक्री ब मुक्दमा इख्तदाई :—

(ओ0 21 रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)

बअदालत उपखण्ड अधिकारी एंव उपखण्ड मजिस्ट्रेट, सूरतगढ़

बइजलास — मनोज कुमार मीणा आर.ए.एस.

कुलदीपचन्द गारगी पुत्र श्री कृष्णचन्द जाति अग्रवाल निवासी 13 सदर बाजार श्रीगंगानगर तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

— वादीगण

बनाम

1. दीपसिंह पुत्र पृथ्वीसिंह मृतक जरिये वारिस :—

1/1 गिरधारीसिंह
1/2 सालमसिंह
1/3 महेन्द्रसिंह
1/4 मन्जूकंवर

} पुत्रगण/पुत्री दीपसिंह पुत्र पृथ्वीसिंह अकवाम राजपूत निवासीयान मोकलसर तहसील सूरतगढ़।

2. ईशरराम पुत्र आसाराम जरिये :—

2/1 छगनलाल पुत्र पेमाराम जाति जाट निवासी राजियासर स्टेशन।

2/2 पेपसिंह पुत्र गुमानसिंह जाति राजपूत निवासी राजियासर स्टेशन।

2/3 छमिन्द्रसिंह पुत्र इकबालसिंह जाति जटसिख निवासी चक 103 आर.डी.एल.।

2/4 केसरीसिंह पुत्र मनीराम जाति जाट निवासी चक 5 पी.पी.ए. घमूड़वाली तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।

2/5 मानसिंह पुत्र उतमसिंह जाति राजपूत निवासी मोकलसर तहसील सूरतगढ़।

3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़।

— प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88 209 आरटीए मुकदमा नं. 238/2012 यह मुकदमा आज वास्ते इन फिसाल कितई रूबरू हमारे हाजिर वकील वादी श्री शिशपाल शर्मा व वकील प्रतिवादी नं. 1/1 ता 1/4 की और से श्री सुरेन्द्र सुथार पेश होने पर हुक्म दिया जाता है व डिक्री जारी की जाती है कि :—

अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर मुताबिक बैयनामा दिनांक 17.07.2003 के आधार पर प्रतिवादी नं. 1/1 से 1/4 के नाम वाके रोही मोकलसर के खसरा नं. 205 की 1095 हिस्सा में से 0.010 बीघा व प्रतिवादी नं. 2/1 से 2/5 के नाम 200 हिस्सा में से 0.010 बीघा इस प्रकार कुल 1.00 बीघा कृषि भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग नं. 15/62 पर 75 फुट छोड़ते हुए प्रतिवादीगण से कलमजन की जाकर वादी के नाम जोड़ा जावे। व राजस्व रिकार्ड मे इसी अनुसार अमल दरामद किये जाने के आदेश दिये जाते है। इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किये जाने के लिये श्रीमान् तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़ को आदेश दिये जाते है।

आज .........x.......... मुबलिग .........x.......... बाबत् .........x.......... खर्चा इस मुकदमें मय शूद्व बशरह .........x.......... कस्दो की पालना .........x..........आज कि तारीख से तारीख बसूलया वो ताकी अदा करे

बसिब्त मेंरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 16.09.2020 को जारी की गयी।

(मनोज कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2020.10.09 15:12:56 IST
Reason: SelfAttested